न्यायालय–नसीम नजर, अवर न्यायाधीश, नरकटियागंज

बंटवारा वाद सं0–63/2023

मु0 गायत्री देवी.....वादिनी

बनाम

मदन महतो एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
07.02.2025	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। वादिनी की ओर से एक आवेदन दिनांक 16.03.2024 अंतर्गत आदेश 06 नियम 17 एवं धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के तहत संशोधन आवेदन दाखिल किया गया है, जो आज दिनांक 07.02.2025 आदेश हेतु नियत है। **आदेश (ORDER)** वादिनी की ओर से अपने आवेदन में कहा है कि प्रस्तुत वाद वादिनी ने वादपत्र की मद सं0–02 में वर्णित भूमि पर अपना हिस्सा 1/6 प्राप्त करने हेतु लाया है। वाद उपस्थिति हेतु नियत है। खाता–99 खेसरा–748 रकबा 02 कट्ठा 10 धुर भूमि टाईपिस्ट की गलती से अंकित होना छुट गया है, जिसे न्यायहित में जोडना आवश्यक है। प्रस्तावित संशोधन औपचारिक है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि वादिनी के संशोधन आवेदन को स्वीकार करने की कृपा करें। इसके लिए वादिनी श्रीमान् का सदैव आभारी रहेगी। प्रतिवादीगण की ओर से वादिनी के आवेदन का प्रत्युत्तर दिनांक 01.06.2024 को दाखिल किया गया तथा कहा गया है कि आवेदन पोषणीय नहीं है, बल्कि खारिज होने योग्य है। वादिनी द्वारा दाखिल आवेदन के माध्यम से जो संशोधन करना चाहती है, उसकी जानकारी वादिनी को पहले से ही थी। वादिनी द्वारा प्रतिवादीगण को परेशान करने की नियत से आवेदन दाखिल किया गया है। अतः आवेदन खारिज किया जाय। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद प्रारंभिक अवस्था में है। आदेश 06 नियम 17 में कोई भी पक्षकार न्यायालय कार्यवाही के किसी भी प्रक्रम पर अपने अभिवचनों को परिवर्तित या संशोधित करने के लिए अनुज्ञाप्त कर सकेगा और वे सभी संशोधन	

<u>न्यायालय–नसीम नजर, अवर न्यायाधीश, नरकटियागंज</u>

<u>बंटवारा वाद सं0–63/2023</u>

मु0 गायत्री देवी.....वादिनी

बनाम

मदन महतो एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 07.02.2025	किये जायेगें, जो दोनो पक्षों के बीच विवादग्रस्त वास्तविक प्रश्नों के आवधारण के परियोजन के लिए आवश्यक हो। वादिनी द्वारा प्रस्तावित संशोधन सामान्य प्रकृति का है। इससे वाद की प्रकृति पर कोई प्रभाव पडना प्रतीत नही होता है लेकिन वादिनी के द्वारा अगर वादपत्र दाखिल करते समय सतर्कता बरती जाती तो प्रस्तुत आवेदन की आवश्यकता नही होती। अतः ऐसी दशा में न्यायहित में वादिनी का आवेदन दिनांक 16.03.2024 मो0–2000/– रूपये हर्जे पर स्वीकृत किया जाता है तथा उनके विद्वान अधिवक्ता को निर्देश दिया जाता है कि वह विधिक समय सीमा के तहत वादपत्र में आवेदनानुसार अपेक्षित संशोधन करें। प्रतिवादीगण को भी स्वत्रंतता होगी की वह वादपत्र में संशोधन के परिपेक्ष्य तक प्रतिवाद पत्र में अगर आवश्यक समझें तो संशोधन कर सकता है। वाद दिनांक 27.02.2025 को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित अवर न्यायाधीश नरकटियागंज	